

# राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 07/12/2022 को संपन्न 439वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  3. श्री किशन सिंह घुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  5. श्री कलदियुस तिकी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: 438वीं बैठक दिनांक 06/12/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 438वीं बैठक दिनांक 06/12/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री कुलदीप साह), ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2151)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 83119/ 2022, दिनांक 10/09/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 19/09/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/09/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 1808, 1810, 1811 एवं 1812, कुल क्षेत्रफल-1.61 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,200 घनमीटर (5,500 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुलदीप साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

**1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1808, 1810, 1811 एवं 1812, कुल क्षेत्रफल-1.61 हेक्टेयर, क्षमता-2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष (दिनांक 17/09/2023) तक की अवधि हेतु वैध है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 17/09/2024 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार 400 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 983/क/ख.लि./न.क्र./21 महासमुंद, दिनांक 12/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 01/07/2019 से 31/12/2019 तक	105
दिनांक 01/01/2020 से 30/06/2020 तक	740
दिनांक 01/07/2020 से 31/12/2020 तक	420

- v. समिति का मत है कि वर्ष 2020 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 20/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
  - उत्खनन योजना – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/2018/1164 रायपुर, दिनांक 06/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
  - 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 853/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 15/06/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 21.32 हेक्टेयर है।
  - 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 853/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 15/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, नदी, नाला, एनीकट, तालाब, रेल लाईन, जल आपूर्ति एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
  - लीज का विवरण – लीज श्री कुलदीप साहू के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/02/2019 से 31/01/2049 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
  - भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 1808 श्री भेखराम साहू, खसरा क्रमांक 1810 श्री गोवर्धन, खसरा क्रमांक 1811 व 1812 श्रीमती गोमति साहू, श्रीमती कोमिन साहू, श्रीमती लता हिरवानी, श्री भेखराम साहू, श्रीमती फुलेश्वरी साहू एवं श्रीमती यशोदा साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
  - डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
  - वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2458 महासमुंद, दिनांक 15/05/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 9 कि.मी. की दूरी पर है।
  - महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-अछोली 200 मीटर, स्कूल ग्राम-अछोली 500 मीटर एवं अस्पताल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 20 कि.मी. दूर है। कुरार नदी 420 मीटर, महानदी 2.2 कि.मी. एवं तालाब 20 मीटर दूर है।

11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,33,910 टन, माईनेबल रिजर्व 1,42,027 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,06,520 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,808 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,500 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,200	षष्ठम	2,200
द्वितीय	2,200	सप्तम	2,200
तृतीय	2,200	अष्टम	2,200
चतुर्थ	2,200	नवम	2,200
पंचम	2,200	दशम	2,200

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 60 नग एवं तथा अन्य स्थल (मंदिर, तालाब, गौठान) में 340 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार कुल 400 नग वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,808 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 440 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 15/10/2021 से 16/01/2022 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में तत्समय सूचना दी गई थी।
18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 853/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 15/06/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 21.32 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अछोली) का रकबा 1.61 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 22.93 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
  - i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
  - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - vi. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.
  - vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
  - ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
  - x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
  - xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.



- xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**2. मेसर्स देवपुर आर्जिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.-श्री गगन नाहटा), ग्राम-देवपुर, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1528)**

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 192989 / 2021, दिनांक 20 / 01 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 82960 / 2021, दिनांक 17 / 09 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-देवपुर, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 447, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-4,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 213, दिनांक 17 / 05 / 2022 द्वारा विचाराधीन खदान उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08 / 03 / 2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट

रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गगन नाहटा, प्रोपराईटर एवं मेसर्स अमलतास इनवायरो इण्डस्ट्रीयल कन्सलटेंट एलएलपी की ओर से श्री वरुण भारद्वाज उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

**1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 447, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर, क्षमता-12,150 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-धमतरी द्वारा दिनांक 17/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 01/05/2043 तक वैध है।
- ii. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 29/11/2021 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें से कुछ शर्तें अपूर्ण एवं आंशिक पालन होना पाया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि अपूर्ण एवं आंशिक पालन के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 940/खनिज/उत्पा./2021 धमतरी, दिनांक 24/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिसम्बर, 2016	386
2017	5,384
2018	7,036
2019	8,140
2020	7,000
1 जनवरी, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक	4,150

समिति का मत है कि अप्रैल, 2021 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (टन प्रतिवर्ष में) अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवपुर का दिनांक 01/05/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्व्हेरोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकर के ज्ञापन क्रमांक 947/खनिज/उत्ख.यो. अनु/उ.प./2020-21 कांकर, दिनांक 05/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 96/खनिज/न.क्र./2021 धमतरी, दिनांक 28/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 96ए/खनिज/न.क्र./2021 धमतरी, दिनांक 28/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री गगन नाहटा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/05/2013 से 01/05/2023 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 02/05/2023 से 01/05/2043 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-धमतरी के पृ. क्रमांक/मा.चि./आर/1319 धमतरी, दिनांक 05/03/2003 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदित क्षेत्र की वन सीमा से दूरी 1.5 कि.मी. है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी एवं उपसंचालक द्वारा सीतानदी तथा उदंती टाईगर रिजर्व सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-देवपुर 106 मीटर एवं शासकीय आई.टी.आई. सिहावा 470 मीटर एवं शासकीय अस्पताल सिहावा 2.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 50 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.53 कि.मी. दूर है। महानदी 250 मीटर एवं बलका नदी 361 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 42,79,617 टन, माईनेबल रिजर्व 16,18,461 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 15,37,537 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,570 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 50 मीटर (41 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1830 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,95,274
द्वितीय	4,00,064
तृतीय	4,22,145
चतुर्थ	4,00,004

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में व्यवहार न्यायालय नगरी में 1,200 नग एवं तथा स्कूल में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार कुल 1,300 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 8,570 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व एवं उत्तर दिशा में कुछ भाग 1 से 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित मॉडिफाईड क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 04 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 03 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 05 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ<sub>2</sub>, एनओ<sub>2</sub> का सान्द्रण लेवल :-

Concentration level ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Maximum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CPCB Standard ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
PM <sub>2.5</sub>	35.61	56.61	60
PM <sub>10</sub>	63.45	86.22	100
SO <sub>2</sub>	8.45	16.18	80
NO <sub>2</sub>	20.12	30.64	80

- परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराईड, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।
- परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L <sub>eq</sub>	55.8	59.5	75
Night L <sub>eq</sub>	40.4	46.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- पी.सी.यू. की गणना:- वर्तमान एवं खदान में उत्खनन से भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा के आधार पर) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष चर्चा उपरांत उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत तालाब पर वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. अपूर्ण एवं आंशिक पालन के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
2. अप्रैल, 2021 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (टन प्रतिवर्ष में) अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी एवं उपसंचालक द्वारा सीतानदी तथा उदती टाईगर रिजर्व सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. फ्लोरा एवं फौना की सही-सही स्थिति दर्शाते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. वर्तमान एवं खदान में उत्खनन से भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा के आधार पर) प्रस्तुत किया जाए।
8. जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत किया जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत तालाब पर वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
10. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।



16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
17. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
18. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स देवपुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.-श्री खेमेन्द्र नाथ साहू), ग्राम-देवपुर, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2155)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67480/2021, दिनांक 09/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400827/ 2022, दिनांक 21/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-देवपुर, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 447, कुल क्षेत्रफल-2.68 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-80,926.218 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/03/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

## बैठक का विवरण -

### (अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खेमेन्द्र नाथ साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट सहित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। जिसके कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

#### 4. मेसर्स सन्नी मेटल्स (प्रो.-श्री बच्चन सिंह, टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2137)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 82729/2022, दिनांक 23/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/09/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/09/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 298/1, 298/2 एवं 405, कुल क्षेत्रफल-1.39 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-62,250 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

### बैठक का विवरण:-

#### (अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जगप्रीत सिंह गिल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टिकनपाल का दिनांक 26/06/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 778/खनिज/उत्ख.यो./2021-22 दंतेवाड़ा, दिनांक 23/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 101/खनिज/ख.लि.4/21/2020-21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 31/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 3.680 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 99/खनिज/ख.लि.4/21/2020-21/उ.प./2022 जगदलपुर दिनांक 31/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – भूमि एवं एल.ओ.आई. मेसर्स सन्नी मेटल्स कोण्डागांव, प्रो.- श्री बच्चन सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/ख.लि.4/24/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 08/12/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 01 वर्ष की अवधि तक थी। अतः समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्र./क.त.अ./4552 जगदलपुर, दिनांक 23/06/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 307 मीटर की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-टिकनपाल 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-टिकन पाल 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-टिकनपाल 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। तालाब 600 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,50,250 टन, माईनेबल रिजर्व 1,49,625 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,34,662 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,864 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,910 घनमीटर है, जिसमें से 4,778 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर

वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष ऊपरी मिट्टी 4,132 घनमीटर को 940 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	24,750
द्वितीय	24,750
तृतीय	62,250
चतुर्थ	18,940
पंचम	18,930

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,864 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में संकीर्ण होने के कारण 940 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य



(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 101/खनिज/ख.लि.4/21/2020-21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 31/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 3.680 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-टिकनपाल) का रकबा 1.390 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-टिकनपाल) को मिलाकर कुल रकबा 5.07 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एकटीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
  - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit the LOI extension copy.

- iv. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority(CGWA & Gram Panchayat).
- v. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**5. मेसार्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.-श्री राजेश चन्द्राकर), ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1992)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर- एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/70315/2021, दिनांक 17/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/09/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक-213, कुल क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,751.25 टन (700.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश चन्द्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

**1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 213, कुल क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर, क्षमता-700.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार 165 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1377/क/खलि/न.क्रं./2021, महासमुंद, दिनांक 23/11/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 01/01/2017 से 30/06/2017 तक	243
दिनांक 01/07/2017 से 31/12/2017 तक	105
दिनांक 01/01/2018 से 30/06/2018 तक	42
दिनांक 01/07/2018 से 31/12/2018 तक	156
दिनांक 01/01/2019 से 30/06/2019 तक	132
दिनांक 01/07/2019 से 31/12/2019 तक	74
दिनांक 01/01/2020 से 30/06/2020 तक	72
दिनांक 01/07/2020 से 31/12/2020 तक	173
दिनांक 01/01/2021 से 30/06/2021 तक	196
दिनांक 01/07/2021 से 30/09/2021 तक	36
दिनांक 01/10/2021 से 31/03/2022 तक	108

समिति का मत है कि मार्च 2022 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 19/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्हायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1927/क/ख.लि./न.क्रं./2016 महासमुंद, दिनांक 01/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्रं./2021, महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, रकबा 39.79 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1256/क/खलि/न.क्रं./2021, महासमुंद, दिनांक 25/08/2021 द्वारा जारी

प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, नदी, नाला, एनीकट, तालाब, रेल लाईन एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। आवेदित क्षेत्र महानदी से 190 मीटर की दूरी पर है।

6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि एवं लीज श्री राजेश चंद्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/01/2001 से 21/01/2011 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/01/2011 से 21/01/2031 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2018 महासमुंद, दिनांक 13/04/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 13 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बरबसपुर 1 कि.मी मीटर, स्कूल ग्राम-बरबसपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मीटर एवं राज्यमार्ग 15.4 कि.मी. दूर है। महानदी 190 मीटर की दूरी पर स्थित है। मौसमी नाला 190 मीटर, तालाब 560 मीटर एवं नहर 1 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,37,373 टन, माईनेबल रिजर्व 1,11,554 टन एवं रिकव्हेरेबल रिजर्व 83,665 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,34,030 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,08,211 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,789.3 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,966.80 घनमीटर है, जिसमें से 818 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण हेतु एवं शेष 3,148.8 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर अथवा बाहरी क्षेत्र में संरक्षित कर पुनःभराव हेतु उपयोग किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,575	षष्ठम	1,762.5
द्वितीय	1,661.3	सप्तम	1,781.3

तृतीय	1,681.5	अष्टम	1,810.5
चतुर्थ	1,736.3	नवम	1,875
पंचम	1,751.3	दशम	1,905

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.79 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर से तथा बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 228 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,789.3 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 455 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-
- "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."
- उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढेना, तहसील व जिला-महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम-घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-घोड़ारी एवं मुढेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक-दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10-10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक

01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्रं./2021, महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, रकबा 39.79 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) का रकबा 0.81 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year





incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

- xvi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**6. मेसर्स घोड़ारी फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.-श्री चन्द्रहास चन्द्राकर), ग्राम-घोड़ारी, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1998)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 75996/ 2022, दिनांक 21/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/09/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-घोड़ारी, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 346, कुल क्षेत्रफल-0.5 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-705 घनमीटर (1,762.5 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कपिल साहू अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

**1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 346, कुल क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर, क्षमता-714 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1297/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 01/01/2017 से 30/06/2017 तक	62
दिनांक 01/07/2017 से 31/12/2017 तक	निरंक
दिनांक 01/01/2018 से 30/06/2018 तक	120
दिनांक 01/07/2018 से 31/12/2018 तक	70
दिनांक 01/01/2019 से 30/06/2019 तक	42
दिनांक 01/07/2019 से 31/12/2019 तक	42
दिनांक 01/01/2020 से 30/06/2020 तक	18
दिनांक 01/07/2020 से 31/12/2020 तक	48

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोड़ारी का दिनांक 07/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 1795/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 12/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 237/क/खलि/न.क्रं./2021, महासमुंद, दिनांक 11/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें, रकबा 17.33 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1297/क/खलि/न.क्रं./2021, महासमुंद, दिनांक 26/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, नदी, नाला, एनीकट, तालाब, रेल लाईन, जल आपूर्ति एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री चंद्राहास चंद्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/05/2009 से 17/05/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/05/2019 से 17/05/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/2686 महासमुंद, दिनांक 03/08/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-घोड़ारी 310 मीटर, स्कूल ग्राम-घोड़ारी 1.3 कि.मी एवं अस्पताल महासमुंद 7.65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 980 मीटर एवं राज्यमार्ग 14.10 कि.मी. दूर है। महानदी 700 मीटर, नहर 670 मीटर, मौसमी नाला 1.2 कि.मी. एवं तालाब 1.3 कि.मी. दूर स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 61,000 टन, माईनेबल रिजर्व 17,872 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 13,404 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,938 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,224 घनमीटर है, जिसमें से 640 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष 584 घनमीटर ऊपरी मिट्टी लीज क्षेत्र में संरक्षित कर पुनःभराव हेतु उपयोग किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण

नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,750	षष्ठम	1,763
द्वितीय	1,725	सप्तम	1,725
तृतीय	1,750	अष्टम	1,688
चतुर्थ	1,758	नवम	1,763
पंचम	1,725	दशम	1,725

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.82 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर से तथा बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 177 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,938 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 112 वर्गमीटर क्षेत्र 12 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढेना, तहसील व जिला-महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित हैं। ग्राम-घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-घोड़ारी एवं मुढेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित हैं। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक-दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा



निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10-10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।
18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 237/क/खलि/न.क्रं./2021, महासमुंद, दिनांक 11/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें, रकबा 17.33 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-घोडारी) का रकबा 0.5 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-घोडारी) को मिलाकर कुल रकबा 17.83 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अपडर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
- i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
  - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - vi. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.
  - vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
  - x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
  - xi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
  - xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
  - xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
  - xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per

the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

- xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**7. मेसर्स झिरियाकला लाईम स्टोन (माईनर मिनरल) ब्वारी (प्रो.—श्री भीखमचंद शर्मा), ग्राम—झिरियाकला, तहसील—पंडरिया व जिला—कबीरघाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2037)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 270518/2022, दिनांक 22/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/09/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम—झिरियाकला, तहसील—पंडरिया, जिला—कबीरघाम स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 395, कुल क्षेत्रफल—0.52 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—3,967 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भीखमचंद शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 395, कुल क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर, क्षमता-3,971 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कबीरधाम द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष अर्थात दिनांक 19/03/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 19/03/2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 01/11/2022 को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 89/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 29/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	2,052.75
2018-19	2,213.75
2019-20	2,093.00
2020-21	1,771.00
2021-22	2,817.50

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत झिरियाकला का दिनांक 12/09/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।



3. उत्खनन योजना – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ इनव्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला-बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 240/2/खनि/चूनापत्थर/उ.यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 22/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 822/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 23/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 823/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 23/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, हॉस्पिटल, पूल, नहर, एनिकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, अस्पताल, रेल लाइन, जल आपूर्ति एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री भीखमचंद शर्मा के नाम पर है। लीज डीड दिनांक 09/02/1996 से 16/04/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 14 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/04/2012 से 16/04/2026 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय मण्डल प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा के ज्ञापन क्र. /वविनि/2021-22/मा.चि./1368 कवर्धा, दिनांक 18/01/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-झिरियाकला 800 मीटर, स्कूल ग्राम-झिरियाकला 1 कि.मी. एवं अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिरियाकला 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। हम्प नदी 8.5 कि.मी. एवं बांध 1.8 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,13,325 टन, माईनेबल रिजर्व 28,129 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 26,722 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,977 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,137 घनमीटर है, ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फेंलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। बेंच की

ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 530 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,967.5
द्वितीय	3,967.5
तृतीय	3,967.5
चतुर्थ	3,967.5
पंचम	3,967.5

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (400 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	28,000	2,800	2,800	2,800	2,800
	फेंसिंग हेतु राशि	73,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	4,000	400	400	400	400
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,16,000	96,000	96,000	96,000	96,000
<b>कुल राशि = 6,17,800</b>		<b>2,21,000</b>	<b>99,200</b>	<b>99,200</b>	<b>99,200</b>	<b>99,200</b>

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27	2%	0.54	Following activities at Govt. Middle School Village- Jhriyakala	
			Plantation in School	0.78
			<b>Total</b>	<b>0.78</b>

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (आंवला, जामुन, कदम, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 4,800 रुपये, ट्री-गार्ड हेतु राशि 12,000 रुपये, खाद के लिए राशि 300 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 29,100 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,840 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
17. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य हेतु स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन में 100 नग वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में की गई व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स महावीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नीचेकोहड़ा आर्डिनरी स्टोन क्वारी, डायरेक्टर- श्री सुनील जैन), ग्राम-नीचेकोहड़ा, तहसील-अंबागढ़ चौकी, जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2161)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 402432/ 2022, दिनांक 07/10/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नीचेकोहड़ा, तहसील-अंबागढ़ चौकी, जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी स्थित खसरा क्रमांक 453/3, 490/1, 490/2, 490/3, 491/1, 491/2, 492, 493 एवं 495, कुल क्षेत्रफल-2.75 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,000 टन (20,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील जैन, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत नीचेकोहड़ा का दिनांक 30/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (खनि प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4681/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019 (3) नवा रायपुर, दिनांक 15/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के ज्ञापन क्रमांक 3/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 12/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के परिधि में दिनांक 09/09/2013 के बाद कोई भी उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है, का लेख है। इस संबंध में समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के परिधि में दिनांक 09/09/2013 के पूर्व एवं उसके पश्चात् के खदानों को शामिल करते हुए खनिज विभाग से प्रमाणित कराते हुए संशोधित 500 मीटर की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के ज्ञापन क्रमांक 3/ख. लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 12/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, कलवर्ट, राज्यमार्ग, धार्मिक एवं एतिहासिक स्थल, नदी, अस्पताल, स्कूल,

एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। निजी तालाब 55 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – एल.ओ.आई. मेसर्स महावीर इंडिया प्राईवेट, डायरेक्टर-श्री सुनील जैन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1545/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 10/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 453/3, 491/1, 491/2, 492, 493 एवं 495 श्री खेतहाराम, खसरा क्रमांक 490/1 श्री बंशीधर, 490/2 श्री खोरबाहरा एवं 490/3 श्री बेदराम के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10-1/2022/4322 राजनांदगांव, दिनांक 10/06/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-नीचेकोहड़ा 150 मीटर एवं अस्पताल अम्बागढ़ चौकी 7 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। तालाब 50 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 16,50,000 टन, माईनेबल रिजर्व 6,32,946 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 6,28,146 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,842 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,000 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 3,398 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,000
द्वितीय	40,000
तृतीय	40,000



चतुर्थ	40,000
पंचम	40,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्द्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (1,400 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	70,000	32,000	32,000	7,000	7,000
	फेंसिंग हेतु राशि	20,000	–	4,000	–	8,000
	सिंचाई एवं खाद हेतु राशि	25,000	10,000	24,000	10,000	9,000
	रख- रखाव हेतु राशि	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
<b>कुल राशि = 3,64,000</b>		<b>1,39,000</b>	<b>66,000</b>	<b>70,000</b>	<b>41,000</b>	<b>48,000</b>

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at nearby, Village- Neechekohda	
			Pavitra Van Nirman	3.05
			<b>Total</b>	<b>3.05</b>

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, कदम, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 45,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 20,000 रूपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,09,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,96,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत नीचेकोहड़ा के सहमति उपरांत यथायोग्य

स्थान (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 452, क्षेत्रफल 0.202 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण के पश्चात् कम से कम 5 वर्षों तक देख-रेख किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब से कम से कम 200 मीटर से अधिक की दूरी पर क्रशर की स्थापना किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
20. किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किये जाने एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब इत्यादि का संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
21. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में दिनांक 09/09/2013 के पूर्व एवं उसके पश्चात् के खदानों को शामिल करते हुए खनिज विभाग से प्रमाणित कराते हुए संशोधित 500 मीटर की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में की गई व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स ढाबाडीह लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री संजय अग्रवाल), ग्राम-ढाबाडीह, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2164)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 402745/ 2022, दिनांक 11/10/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-ढाबाडीह, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक - 184/2, 184/3 एवं 184/4, कुल क्षेत्रफल - 0.931 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-15,300.23 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड (धौराभांटा लाईम स्टोन क्वारी, डॉयरेक्टर-श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल), ग्राम-धौराभांटा, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (वर्तमान में जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2150)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 286298/ 2022, दिनांक 09/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/10/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।



प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-धौराभांटा, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (वर्तमान में जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़) स्थित खसरा क्रमांक – 140/5, 152/4, 140/1, 140/11, 150, 141/3, 140/6, 140/10 एवं 140/3, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-61,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौराभांटा का दिनांक 12/09/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1457ए/ख.लि.-2/2002 रायगढ़, दिनांक 18/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1543 कले./ख.लि./2022 रायगढ़, दिनांक 03/10/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1543 कले./ख.लि./2022 रायगढ़, दिनांक 03/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक/एतिहासिक स्थल, पुल, नदी, रेलवे लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 120 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – एल.ओ.आई. मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड, डायरेक्टर-श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1190/ख.लि.-2/2022 रायगढ़, दिनांक 04/07/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 140/5, 152/4, 140/1, 140/11, 150, 141/3, 140/6, 140/10 एवं 140/3 श्री श्रवण अग्रवाल, मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड रायगढ़ के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।



8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./1890/2019 रायगढ़, दिनांक 11/04/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.88 कि.मी. एवं गोमर्डा अभ्यारण्य से 10.6 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-धौराभांटा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-धौराभांटा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम-धौराभांटा 1 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। महानदी 5 कि.मी. एवं नाला 120 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है। गोमर्डा वन्यजीव अभ्यारण 10.6 कि.मी. की दूरी पर है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 13,65,000 टन, माईनेबल रिजर्व 4,03,043 टन एवं रिकव्हेरेबल रिजर्व 3,82,890 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,500 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,500 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	60,000
तृतीय	60,300
चतुर्थ	60,750
पंचम	61,500

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	70,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	फेंसिंग हेतु राशि	1,74,800	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,86,000	1,56,000	1,56,000	1,56,000	1,56,000
<b>कुल राशि = 10,96,000</b>		<b>4,40,800</b>	<b>1,64,000</b>	<b>1,64,000</b>	<b>1,64,000</b>	<b>1,64,000</b>

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र के 575 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर कुछ क्षेत्रों में 6 मीटर के बाद उत्खनन किया जाना संभव नहीं है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,500 घनमीटर है, जिसमें से 5,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं लगभग 4,800 घनमीटर को लीज क्षेत्र के भीतर प्रथम वर्ष में जिस क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाना प्रस्तावित है उस क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी को संरक्षित रखा जाकर उत्खनित क्षेत्र में पुनःभराव हेतु उपयोग किया जाएगा तथा शेष 2,400 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर उत्तर-पूर्वी भाग के 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र में संरक्षित किया जायेगा।
18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.76	Following activities at Govt. Primary School <b>Village-Dhaurabhatha</b>	
			Running Water in the toilet	0.40
			Plantation in school	0.73
			<b>Total</b>	<b>1.13</b>

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (आंवला, जामुन, कटहल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 1,200 रूपये, फेंसिंग हेतु राशि 8,000 रूपये, खाद के लिए राशि 200 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार

प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,400 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,560 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

20. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य हेतु स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 430वीं एवं 431वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/10/2022 एवं 28/10/2022 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 07/12/2022 द्वारा किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।



(कल्दियुस तिर्की)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
छत्तीसगढ़



(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
छत्तीसगढ़